RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION

Office:-Bus Body, Engineering Department, HO, Jaipur

No :- F5/HO/EDE/GM(BB)/Body/25 / 256 Date:- 27.11.2025

Pre-Bid Corrigendum

The pre-bid meeting was held on dated 11.11.2025 at 11.00 hrs. in respect of e-tenders invited for Hiring of AC 3X2 Fully Built Electric Buses without Infrastructure, in presence of various electric bus manufacturers and operators/firms. The Bid Documents for **Hiring of AC 3X2 Fully Built Electric Buses without Infrastructure 2025-26** are amended as follows:-

SN	Bid Document Point No.	As per Bid Documents	Decision taken for amendment
1	D Financial Bid Documents I. Instruction for the bidder 2. General Condition point no b	Electricity Charges will be borne by the RSRTC. Allowed energy consumption or energy efficiency at the fleet level for the bus fleet shall be – (1.1 kWh/km * Actual Kms operated in a month by bus fleet of an operator) or actual consumption which ever is lesser. The cost of any electricity consumed on account of charging of the Buses requiring electricity in excess of the Allowed Energy Consumption and the use of any other equipment, plant and machinery at the Depot/Area/Land provided for Electric buses (if any) shall be payable by the Operator.	Electricity Charges will be borne by the RSRTC. Allowed energy consumption or energy efficiency at the fleet level for the bus fleet shall be – (1.1 kWh/km * Actual Kms operated in a month by bus fleet of an operator).Allowed **1.1 KWH/km consumption will be considered on annual average basis.** The cost of any electricity consumed on account of charging of the Buses requiring electricity in excess of the Allowed Energy Consumption and the use of any other equipment, plant and machinery at the Depot/Area/Land provided for Electric buses (if any) **shall deduct from the Operator's bill as per the depot per unit electricity rate (Total Bill Amount of the month/ Total unit consumed during the month)** **REST NO CHANGE**
2.	D Financial Bid Documents II. Terms and conditions of financial bid Point no. A (VI)	The Bidder/Contractor shall have to provide the offered buses as per the delivery schedule given by RSRTC. In case the new buses are not provided by the Bidder /Contractor to the RSRTC within the stipulated time limit given by RSRTC, then late penalty of Rs. 2500/- per day per bus for first 30 days, then Rs. 4,000/- per day per bus will be charged for each day of delay up to 45 days. After this, the delay period may be	**The Bidder/Contractor shall have to provide the offered buses on hired basis within 180 days after issue of Delivery schedule. RSRTC will establish charging infrastructure /civil work meanwhile, In case if the establishment of charging infrastructure /civil work takes time more than the above given timeline i.e 180 days, Delivery schedule may be extended as per the decision of**

		extended as per the requirement of RSRTC with penalty of 5,000 Rs. per day per bus, for this, the decision of the Managing Director, RSRTC will be final.	**RSRTC.** In case the new buses are not provided by the Bidder /Contractor to the RSRTC within the stipulated time limit given by RSRTC, then late penalty of Rs. **2500/-** per day per bus for first 30 days, then Rs. **4,000/-** per day per bus will be charged for each day of delay **up to 45 days.** **After this, the delay period may be extended as per the requirement of RSRTC** with penalty of **5,000** Rs. per day per bus, **for this**, the decision of the Managing Director, RSRTC will be final. **REST NO CHANGE**
3.	D Financial Bid Documents II. Terms and conditions of financial bid Point no. A (VII)	The Bidder/Contractor will report to the RSRTC for the buses to be put on road on hired basis shall also submit the full details of the buses with their Registration Nos. and seating capacity etc. within due time. Registration of the buses will be in Rajasthan state only. The lock-in period of 10 years be allowed for hiring of new buses. Accordingly bus wise agreement for 10 years be executed on non-judicial stamp paper on the cost of contractor in first instance and there after the agreement will be extended for Two year (One Year + One Year) subject to condition of bus, fitness and satisfactory service given by the contractor and need of RSRTC for the hired bus. If the services being provided by contractor are found unsatisfactory or the bidder violate the terms/conditions of the contract, the first party will issue a notice and one month's time will be given to the second party to rectify. In case no rectification/improvement is made within one month, RSRTC has reserved the right to cancel/ terminate the agreement even in lock-in period by giving a 15-day prior notice to the firm. Appeal may be submit for above cancellation/ termination as per RTPP Act and Rules	The Bidder/Contractor will report to the RSRTC for the buses to be put on road on hired basis shall also submit the full details of the buses with their Registration Nos. and seating capacity etc. within due time. Registration of the buses will be in Rajasthan state only. The **contract** period of 10 years be allowed for hiring of new buses. Accordingly **Single (Fleet wise)/ Lot wise agreement** for 10 years be executed on non-judicial stamp paper on the cost of contractor in first instance and there after the agreement will be extended for Two year (One Year + One Year) subject to condition of bus, fitness and satisfactory service given by the contractor and need of RSRTC for the hired bus. **Lock-in period will be of 03 years.** If the services being provided by contractor are found unsatisfactory or the bidder violate the terms/conditions of the contract, the first party will issue a notice and one month's time will be given to the second party to rectify. In case no rectification/improvement is made within one month, RSRTC has reserved the right to cancel/ terminate the agreement even in

			lock-in period **(03 years)** by giving a 15-day prior notice to the firm. Appeal may be submit for above cancellation/ termination as per RTPP Act and Rules
4.	D Financial Bid Documents II. Terms and conditions of financial bid Point no. H (XX)	The Bidder/Contractor will have to enter in to Contract/ Agreement for hiring of buses initially for 10 years with RSRTC. Accordingly bus wise agreement for 10 years be executed in first instance and thereafter the agreement will be extended for two-year (one year + one year½ subject to condition of bus, fitness and satisfactory service given by the contractor and need for RSRTC of the hired bus. If the services being provided by contractor are found unsatisfactory or the bidder violate the terms/conditions of the contract, the first party will issue a notice and one month time will be given to the second party to rectify. In case no rectification/improvement is made within one month, RSRTC has reserved the right to cancel/ terminate the agreement even in lock-in period by giving a 15 days prior notice to the firm. Appeal may be submit for above cancellation/ termination as per RTPP Act and Rules.The terms and conditions so mentioned in the Contract/ Agreement (Performa enclosed) are part and parcel of this Bid documents, the Bidder/Contractor is abiding with them.	The Bidder/Contractor will have to enter in to Contract/ Agreement for hiring of buses initially for 10 years with RSRTC. Accordingly **Single (Fleet wise)/ Lot wise agreement** for 10 years be executed in first instance and thereafter the agreement will be extended for two-year (one year + one year½ subject to condition of bus, fitness and satisfactory service given by the contractor and need for RSRTC of the hired bus. If the services being provided by contractor are found unsatisfactory or the bidder violate the terms/conditions of the contract, the first party will issue a notice and one month time will be given to the second party to rectify. In case no rectification/improvement is made within one month, RSRTC has reserved the right to cancel/ terminate the agreement even in lock-in period by giving a 15 days prior notice to the firm. Appeal may be submit for above cancellation/ termination as per RTPP Act and Rules.The terms and conditions so mentioned in the Contract/ Agreement (Performa enclosed) are part and parcel of this Bid documents, the Bidder/Contractor is abiding with them.
5.	D Financial Bid Documents V. Specifications of the AC 3X2 Electric Fully Built Buses. Point no. 19 Chassis	Total Length- Min. 12000 mm +/- 100 mm	Total Length- **Min. 11900 mm** REST NO CHANGE

6.	D Financial Bid Documents V. Specifications of the AC 3X2 Electric Fully Built Buses. Structure and Fully Built Bus Body Specification Point no 4 - Body Dimension	Overall length Min. 12000 mm +/- 100 mm	Overall length **Min. 11900 mm** REST NO CHANGE
7.	D Financial Bid Documents V. Specifications of the AC 3X2 Electric Fully Built Buses. Point no. 12 & 13	Front Axle - Heavy Duty axel. Rear Axle - Fully Floating Type.	Front Axle - **As per OEM design and CMVR.** Rear Axle - **As per OEM design and CMVR.**
8.	D Financial Bid Documents V. Specifications of the AC 3X2 Electric Fully Built Buses. Structure and Fully Built Bus Body Specification Point no. 09(a)	a) In-swing / Out-swing Pneumatic Door with clear glass window as per requirement of AIS: 052 at LH Side ahead of front axle. Door mechanism should be robust type to avoid any rattling with good aesthetic look with proper rubber sealing to avoid ingress of water & dust.	a) In-swing / Out-swing **or Jack-knife Type Pneumatic door** with clear glass window as per requirement of AIS: 052 at LH Side ahead of front axle. Door mechanism should be robust type to avoid any rattling with good aesthetic look with proper rubber sealing to avoid ingress of water & dust.
Miscellaneous Amendments 1:			
1.	D Financial Bid Documents V. Specifications of the AC 3X2 Electric Fully Built Buses. Point no. 2 Propulsion System	Battery Capacity – Minimum 250 KWH	Battery Capacity – **Minimum 300 KWH**
2.	Scope of Work	The successful bidder will ensure that the buses should be brand new AC 3X2 *Electric Fully Built Bus* with length of 12 meter. These fully built buses shall be strictly procured by the bidder/contractor from Electric buses manufacturer who have type approval certificate as per bus body code AIS 052 of	The successful bidder will ensure that the buses should be brand new AC 3X2 Electric Fully Built Bus with length of 12 meter. These fully built buses shall be strictly procured by the bidder/contractor from Electric buses manufacturer who have **type approval certificate**

		concerned fully built electric bus as well as bus body builder accreditation compliance certificate from OEM/ OEM and OEM authorized electric bus body builder as per CMVR.	**as per AIS 052, AIS 153 & prevailing bus body code of concerned fully built electric bus** as well as bus body builder accreditation compliance certificate from OEM/ OEM and OEM authorized electric bus body builder as per CMVR.
3.	Scope of Work Page 5/6	Inspection will be done by RSRTC Enginering Team after every 02 Year of bus operation of each bus.	**Inspection may be done by RSRTC officials at any time after starting of operation of each bus.**
4.	A-BID FORM Point No - 3	These fully built buses shall be strictly procured by the bidder/contractor from Electric Buses manufacturer who have type approval certificate as per bus body code AIS 052 of concerned fully built electric bus as well as bus body builder accreditation compliance certificate from OEM/ OEM and OEM authorized electric bus body builder as per CMVR.	These fully built buses shall be strictly procured by the bidder/contractor from Electric Buses manufacturer who have **type approval certificate as per AIS 052, AIS 153 & prevailing bus body code of concerned fully built electric bus** as well as bus body builder accreditation compliance certificate from OEM/ OEM and OEM authorized electric bus body builder as per CMVR.
5.	D Financial Bid Documents II. Terms and conditions of financial bid Point no. A (III,IV)	Letter of Intent (LOI) will be given to the successful Bidder after finalization of the Bid. Delivery schedule will be issued separately. On receipt of LOI the successful Bidder will submit the detailed plan regarding procurement of Electric buses as per RSRTC specification & design from the electric bus manufacturer who have bus code accreditation certificate from OEM/ OEM and OEM authorized electric bus body builder and latest/prevailing Type approval certificate as per AIS 052 and CMVR. The successful bidder will ensure that the buses should be brand new AC 3X2 Electric Fully Built bus with length of 12 meter. These fully built buses shall be strictly procured by the bidder/contractor from electric buses manufacturer who have type approval certificate	Letter of Intent (LOI) will be given to the successful Bidder after finalization of the Bid. **Delivery schedule will be issued within one month of LOI.** On receipt of LOI the successful Bidder will submit the detailed plan regarding procurement of Electric buses as per RSRTC specification & design from the electric bus manufacturer who have bus code accreditation certificate from OEM/ OEM and OEM authorized electric bus body builder and latest/prevailing **Type approval certificate as per AIS 052, AIS 153 & prevailing bus body code and CMVR.** The successful bidder will ensure that the buses should be brand new AC 3X2 Electric Fully Built bus with length of 12 meter. These fully built buses shall be strictly procured by the bidder/contractor from electric buses manufacturer who have

		as per bus body code AIS 052 of concerned fully built electric bus as well as bus body builder accreditation compliance certificate from OEM/ OEM and OEM authorized electric bus body builder as per CMVR.	**type approval certificate as per AIS 052, AIS 153 & prevailing bus body code of concerned fully built electric bus** as well as bus body builder accreditation compliance certificate from OEM/ OEM and OEM authorized electric bus body builder as per CMVR.
6.	D Financial Bid Documents V. Specifications of the AC 3X2 Electric Fully Built Buses. Structure and Fully Built Bus Body Specification Point no 24(17)	Wiring: All bus wiring should be as per CMVR. Bus should be fitted with Master Multiplex Wiring compatible for auxiliary system like Intelligence Transport System (ITS) confirming to IP: 67 & AIS: 153 & AIS 140	Wiring: All bus wiring should be as per CMVR. Bus should be fitted with Master Multiplex Wiring compatible for auxiliary system like Intelligence Transport System (ITS) **confirming to AIS: 153 & AIS 140**
7.	ANNEXURE "F" **Format of Bank Guarantee for 0.5% Performance Security**	Insert the date sixty days after the expected completion date, including period of Warranty/ Guarantee and maintenance period, if any.	Insert the date **Six months** after the expected completion date, including period of Warranty/ Guarantee and maintenance period, if any. **REST NO CHANGE**
8.	C Technical Bid Documents II. General Conditions related to Technical Capability Page No -18/19 Evaluation Criteria	The procuring entity shall award the contract to the bidder whose offer has been determined to be the lowest or most advantageous and if the bidder has been determined to be qualified to perform the contract satisfactorily on the basis of qualification criteria fixed for *the bidders in the bidding* document for the subject matter of procurement i.e. hiring of Electric buses without infrastructure on kilometer basis.	The procuring entity shall award the contract to the bidder whose offer has been determined to be the lowest or most advantageous and if the bidder has been determined to be qualified to perform the contract satisfactorily on the basis of qualification criteria fixed for the bidders in the bidding document for the subject matter of procurement i.e. hiring of Electric buses without infrastructure on kilometer basis. **In case the total number of buses required in the bid is not in the capacity of L1 bidder then to meet out the requirement of RSRTC (or the quantity decided to procure by RSRTC) the quantity may be *divided between the* bidders (second lowest bidder or even more bidders in that order) in a fair, transparent and equitable manner, at the rate of lowest accepted Bid.** **If a situation arises where the**

			rate of more than one bidder is same then priority will be given to the bidder who has offered for more number of buses in the Bid.

Miscellaneous Amendments 2: D Financial Bid Documents-

IV-FORMAT OF AGREEMENT

अनुबन्ध पत्र का प्रारूप &

V. Specifications of the AC 3X2 Electric Fully Built Buses.

Proposed CCTV Camera Specifications for buses.

After Elaborate discussion on submission of the firm on various points, above decision were taken by the committee regarding amendment in bid document.

Other terms, conditions and specifications etc. of bid document shall remain unchanged for the bid for Hiring of AC 3X2 Fully Built Electric Buses without Infrastructure 2025-26.

General Manager (Bus Body)

Attachment

Proposed CCTV Camera & mNVR Specifications for buses	
Camera Resolution	5 MP (2960x1668/2880x1620)
IR Distance	30 m
Lens Type	Fixed- Focal
Noise Reduction	3D-NR
Day/Night Mode	Auto(ICR)/Color/B/W
Power Source	12 V DC/PoE (802.3af)
Protocol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; etc.
Video Streaming	Main stream: 2960 × 1668@(1–20 fps)
Compliances	1. STQC Certified 2. Should comply with the orders issued by Finance Department, Government of Rajasthan dated 01-01-2021, 15-01-2021 and 30-3-2021
Installation	Steel conduit pipe along with camera boxes
Quantity	2 per bus
Installation Position	1. Camera -1 : Ceiling of the bus covering first 5-6 row of seats 2. Camera -2 : Ceiling of the bus covering second 5-6 row of seats
Sound	Inbuilt Mic and Speaker
Software	Web & Mobile App for video view/download facility by bus numbers
mNVR	4- channel SIM-Compatible mNVR (Shock/Vibration Protection to prevent data loss in mobile environment)
Storage	Min. 1 TB
Video Recording Availability	15 Days Cyclic
Internet	SIM is to be provided by RSRTC, if required

IV- FORMAT OF AGREEMENT

अनुबन्ध पत्र का प्रारूप

(AC 3X2 Electric Fully Built Buses वाहनों के लिए)

यह अनुबन्ध पत्र राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकृत प्रतिनिधि जिसे आगे ''निगम'' अथवा ''प्रथम पक्ष'' में उल्लेखित किया जावेगा एंव मैसर्स /श्री..पुत्र श्री ....(**VehicleOwner/Individual/Any Firm/Consortium/Company etc. detail**) पता...**अथवा Vehicle Owner/Individual/Any Firm/Consortium/Company etc.** द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री ....
.....पता..(**जिसके द्वितीय पक्ष के उत्तराधिकारी, हितधारी पक्षकार इत्यादि जिनके नाम अधिकृत पॉवर ऑफ अटोर्नी हो सम्मलित होगें**) जिसे इस अनुबन्ध पत्र में ''द्वितीय पक्ष'' के रुप मे उल्लेखित किया जावेगा, के मध्य पारस्परिक सहमति से बिना किसी दबाव के अंकित एंव निष्पादित किया जाता है। इस अनुबन्ध में वर्णित **द्वितीय पक्ष** अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से निगम द्वारा किसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया जावेगा।

इस अनुबन्ध पत्र के अनुसार निगम, मैसर्स/श्री .... द्वारा प्रदत्त की गई निम्नलिखित वाहनों को

क्र.सं.	वाहन संख्या	मॉडल
1		
2		
3		

को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधीनस्थ ....**आगार के** संचालित मार्गो पर यात्री वाहन के रुप में प्रयोग करने के लिए अधिकृत होगा ।

अनुबन्ध की शर्ते निम्न प्रकार हैं :-

1. यह कि बस **द्वितीय पक्ष द्वारा** अनुबन्ध पर दी गई **वाहनों** में स्वयं की ओर से लाईसेन्सधारी (भारी यात्री वाहन चलाने का एक वर्ष से अधिक पुराना वैध लाईसेंस अनिवार्य) चालक नियुक्त करेगा तथा चालक के पूरे खर्चे जैसे वेतन, प्रोविडेन्ट फन्ड, अन्य सभी देयतायें जो श्रम कानून के तहत् देय हैं, द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगी।

   बस के संचालन में होने वाले सम्पूर्ण खर्चे उदाहरणार्थः- वाहन मरम्मत, टूट-फूट, बीमा, चालक व्यवस्था तथा यात्रियों की सुरक्षा इत्यादि संबंधित समस्त उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा।

   द्वितीय पक्ष द्वारा वाहनों के प्रबन्धन/रख-रखाव हेतु नियुक्त किये जाने वाले **उक्त उल्लेखित** अधिकृत व्यक्ति को **द्वितीय पक्ष** के द्वारा नोटेरी पब्लिक से सत्यापित अधिकार पत्र/पॉवर ऑफ अटोर्नी देना होगा, जिसमें अधिकृत व्यक्ति के कार्यो/अधिकारों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वर्णित करना होगा। अधिकृत व्यक्ति को हटाने/अन्य व्यक्ति को अधिकृत किये जाने पर निगम को सूचना देने का उत्तरदायित्व **द्वितीय पक्ष** का होगा।

   निगम द्वारा Without infrastructure अन्तर्गत Charging Infrastructure (हाई टेंशन लाईन, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक चार्जर एवं सम्बंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिविल कार्य इत्यादि) एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन हेतु इलेक्ट्रिसिटी, **द्वितीय पक्ष** को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही निगम स्वामित्व की भूमि पर अनुबन्धित वाहनों हेतु पार्किग स्थान/भूमि **(आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार)** उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

   इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन हेतु इलेक्ट्रीसिटी निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। **इसके अन्तर्गत, अनुबंधित वाहन फ्लीट स्तर पर अनुमत ऊर्जा खपत या ऊर्जा दक्षता – 1.1 KWH/KM X अनुबंधित वाहन फ्लीट द्वारा एक महीने में संचालित वास्तविक किलोमीटर अनुसार होगी। 1.1 KWH/KM खपत को वार्षिक औसत के आधार पर माना जाएगा।**

इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में अनुमत ऊर्जा खपत से अधिक खपत की गई बिजली और इलेक्ट्रिक बसों के लिए उपलब्ध कराए गए डिपो/क्षेत्र/भूमि पर किसी अन्य उपकरण, संयंत्र, मशीनरी के उपयोग के कारण खपत की गई बिजली (यदि कोई हो) की **कटौती द्वितीय पक्ष से निगम आगार की प्रति यूनिट बिजली दर (Total Bill Amount of the month/ Total unit consumed during the month) से की जावेगी।**

निगम, **द्वितीय पक्ष** द्वारा बिजली की खपत को मापने के लिए एक उप–मीटर भी स्थापित कर सकता है।

निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए Charging Infrastructure तथा भूमि को भविष्य में निगम आवश्यकतानुसार किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। परिवर्तित स्थान पर Charging Infrastructure तथा वाहन पार्किग हेतु भूमि/स्थान **(आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार)**, निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी। पार्किंग शुल्क निगम द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

2. **द्वितीय पक्ष** को निगम(प्रथम पक्ष) द्वारा जारी कार्यादेश (LOI/Delivery Schedule) कमांक .... दिनांक .... में वर्णित कुल ....वाहनें अनुबन्ध हेतु .... आगार, राजस्थान परिवहन निगम को उपलब्ध करानी होगी।
3. द्वितीय पक्ष द्वारा नवीनतम मॉडल की AC 3X2 Electric Fully Built वाहन ही उपलब्ध कराई जावेगी।वाहन में रेडियल टायर लगाने होंगें।नये इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण,निगम के निर्धारित Specification and Design के अनुरूप **type approval certificate as per AIS 052 , AIS 153 & prevailing bus body code of concerned Electric bus** as well as bus body builder accreditation compliance certificate from OEM/ OEM and OEM authorized electric bus body builder as per CMVR धारित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से, द्वितीय पक्ष द्वारा करवाया गया है।
4. द्वितीय पक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि वाहन को पूर्णतया चालू हालत में रखें, वाहन की सफाई तथा मोटरवाहन अधिनियम–1988 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/संबंधित आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित श्रेणी की सीटें सुन्दर और साफ हालत में रखें। वाहन में टूल बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, स्टेपनी आदि रखेगें तथा मोटर वाहन अधिनियम के उल्लेखित नियमों में निर्दिष्ट सभी प्रकार के उपकरणों की सफाई तथा अन्य ऐसे समस्त खर्चें जो वाहन को सही हालत में रखने के लिये आवश्यक है, **द्वितीय पक्ष** को ही वहन करने होंगे।
5. अनुबंधित वाहन की न्यूनतम अनुबंध अवधि 10 वर्ष या 14 लाख किमी0 जो भी पहले हो तक के लिए होगी। तत्पश्चात् वाहन की स्थिति संतोषप्रद पाए जाने, वाहन की फिटनेस होने एवं **द्वितीय पक्ष** द्वारा दी जा रही सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर ही निगम की आवश्यकतानुसार दो वर्ष (एक वर्ष + एक वर्ष) की वृद्धि की जा सकेगी। अनुबंध अवधि के दौरान 14.00 लाख किमी. संचालित होने के बाद बस के निरंतर संचालन का निर्णय आगार की आगारीय कमेटी द्वारा बस का निरीक्षण कर वाहन की स्थिति संतोषप्रद पाए जाने एवं **द्वितीय पक्ष** द्वारा दी जा रही सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने के आधार पर लिया जावेगा । **प्रत्येक अनुबन्धित वाहन का प्रत्येक दो वर्ष संचालन के पश्चात निगम आगारीय कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।**
6. न्यूनतम अनुबन्ध अवधि 10 वर्ष होगी परंतु यह शर्त आगार अथवा निगम के कर्मचारियों के हडताल पर चले जाने अथवा किसी प्राकृतिक संकट के समय अथवा किसी स्थान पर कानून एंव व्यवस्था से उत्पन्न स्थितियों अथवा ऐसे किसी कारण, जो निगम के नियन्त्रण में न हो, से संचालन में होने वाले व्यवधान की स्थिति में लागू नही होगी। विषम परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष की वाहन का संचालन बिना पूर्व सूचना के बन्द किया जा सकेगा और इसके लिए कोई भुगतान देय नही होगा।

7. **द्वितीय पक्ष** द्वारा एक आगार में **संचालित** नवीनतम मॉडल की अनुबंधित वाहन फ्लीट को **Assured Average 400 कि.मी. अथवा अधिक प्रतिदिन संचालन किया जावेगा।** निगम द्वारा अनुबंध पर ली गई वाहन फ्लीट के औसत 400 कि.मी. प्रतिदिन संचालित कि.मी. का **भुगतान** निर्धारित दर .... रूपये प्रति कि.मी. से देय होगा तथा 400 कि.मी. से अधिक परंतु 500 कि.मी. तक प्रतिदिन वाहन फ्लीट के संचालन पर 400 कि.मी. से अतिरिक्त कि.मी. संचालन पर उक्त निर्धारित दर से 10 प्रतिशत कम की दर से भुगतान देय होगा तथा 500 कि.मी. प्रतिदिन से अधिक वाहन फ्लीट के संचालन पर 500 कि.मी. से अतिरिक्त कि.मी. संचालन का उक्त निर्धारित दर से 15 प्रतिशत कम की दर से भुगतान देय होगा। **द्वितीय पक्ष** को भुगतान शिड्यूल किमी/वास्तविक आयिक (Earning) किमी के आधार पर दिया जायेगा।

द्वितीय पक्ष द्वारा संचालित वाहनों को अनायिक (Dead) कि.मी. के लिए उन्हें किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा। **वाहन चार्जिंग हेतू अतिरिक्त कि.मी. संचालन की स्थिति में अनुमत ऊर्जा खपत अनुसार Electricity देय होगी।**

आगार में **द्वितीय पक्ष** की सभी अनुबंधित बसों को बेडे (Fleet) के आधार पर **Assured Average** 400 किमी अथवा अधिक प्रतिदिन संचालित किया जावेगा। मासिक बिल फ्लीट के आधार पर तैयार किया जावेगा तथा भुगतान भी फ्लीट के आधार पर किया जावेगा। प्रत्येक माह में बेडे के औसत कि.मी. की गणना के लिए, एक **द्वितीय पक्ष** की एक आगार की, सभी वाहनों द्वारा संचालित कुल कि.मी. को सभी वाहनों के कुल संचालित दिवसों से विभाजित किया जावेगा।

अनुबन्धित फ्लीट के किलोमीटर में किसी भी कमी के लिए Assured किलोमीटर स्वीकार्य नहीं होंगे जो निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हो–

(अ) अनुबंध शर्तो का उल्लंघन।

(ब) रखरखाव या दुर्घटनाओं के कारण अनुबंधित बसों की अनुपलब्धता।

(स) द्वितीय पक्ष द्वारा कानून का उल्लंघन एवं किसी अप्रत्याशित घटना का घटित होना।

Assured (आश्वासित) किलोमीटर की गणना करते समय, अनुबन्धित वाहन में यांत्रिक/अन्य किसी खराबी के कारण निरस्त रहे किलोमीटर की कटौती की जाएगी। साथ ही यदि अनुबन्धित वाहन किसी दिन या उसके किसी भाग में संचालन हेतु उपलब्ध नहीं होती है तो आश्वासित किलोमीटर आनुपातिक रूप से कम किये जा सकेंगे।

8. **द्वितीय पक्ष** द्वारा, एक बार फुल चार्ज के पश्चात न्यूनतम 225 किमी (without Opportunity charging, on actual condition with GVW and Air Conditioning and other sub system operational, throughout the contract period) संचालन में सक्षम इलैक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराई जावेगी।

9. वाहन को निर्धारित एक परिचक्र के पश्चात (200 किमी से अधिक के परिचक्रो की स्थिति में) चार्ज करने हेतु अधिकतम 120 मिनट का समय देय होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये इलेक्ट्रिक वाहन को 200 किमी तक के परिचक्र पर संचालन की स्थिति में मार्ग पर अर्पोचुनिटी चार्जिग हेतु कोई समय देय नहीं होगा। 200 किमी से अधिक के परिचक्र पर संचालन की स्थिति में मार्ग (आने एवं जाने दोनों ओर) पर अर्पोचुनिटी चार्जिग की आवश्यकता होने पर अधिकतम 30 मिनट का समय देय होगा। वाहन के एक शिड्यूल पर संचालन के पश्चात वाहन चार्जिग, मेंटीनेंस, यांत्रिक/बैट्री मरम्मत, टूट–फूट एंव चैकिंग, धुलाई अन्य किसी भी कार्य इत्यादि हेतु मूल आगार में, अधिकतम 06 घंटे का समय देय होगा इसके पश्चात वाहन की मार्ग/शिड्यूल पर भेजा जा सकेगा।

10. बस के संबंध में नगरपालिका स्टेण्ड फीस, टोल टैक्स, विशेष पथ कर, परमिट फीस, पर्यटक अनुज्ञा पत्र पर देय कर व अन्य राज्यों को देय कर का भुगतान निगम द्वारा किया जावेगा। निगम में अनुबंध पर बस संचालन की अवधि के लिये **द्वितीय पक्ष** द्वारा सरकार को निगम में अनुबंधित बस के विरूद्व चुकायें गये जी.एस.टी. की रसीद प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने पर इसका पुनर्भरण निगम द्वारा किया जावेगा । रोड टैक्स तथा अन्य कोई भी कर जो वर्तमान में लागू है अथवा

भविष्य में लागू हो, की देयता **द्वितीय पक्ष** की होगी। परन्तु यदि संचालन संबन्धित कोई नया कर भविष्य में लगाया जाता है, तो उसे निगम वहन करेगा।

11. द्वितीय पक्ष की अनुबन्धित की हुई वाहन के संचालन हेतु परिचालक की नियुक्ति प्रथम पक्ष निगम द्वारा की जावेगी तथा निगम द्वारा नियुक्त परिचालक यात्रियों को टिकिट जारी करने, किराया वसूल करने, यात्रियों को वाहन में बैठाने/उतारने तथा निगम द्वारा निर्धारित बस स्टाप पर गाडी को रोकने व समय सारिणी के अनुसार वाहन का संचालन कार्य करेगा । उक्त परिचालक को टिकट, वे–बिल व अन्य स्टेशनरी निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।

12. यदि वाहन किसी विषम परिस्थिति में बिना परिचालक ऑन डी.एस.ए. संचालित कि जाती हैं तथा वाहन में बिना टिकिट यात्री पाये जाते हैं तो द्वितीय पक्ष इसके लिये पूर्ण रूपेण दोषी माना जावेगा तथा प्रत्येक बिना टिकिट यात्री के यात्री किराये की दोहरी राशि मय प्रति बिना टिकिट यात्री दो हजार रूपये शास्ति राशि की वसूली द्वितीय पक्ष को देय भुगतान से की जा सकेगी। इसमें द्वितीय पक्ष का कोई बचाव/कथन स्वीकार नही होगा।

13. यह कि द्वितीय पक्ष अनुबन्ध पत्र के माध्यम से जो **बसें** राजस्थान परिवहन निगम को बस संचालन करने हेतु देगा उनकी Comprehensive बीमा पालिसी (जिसमें दंगा, फसाद, युद्ध, बाढ, भूकम्प इत्यादि से होने वाली रिस्क भी शामिल होगी) द्वितीय पक्ष द्वारा भारत की किसी भी अधिकृत बीमा कम्पनी से अनुबन्ध अवधि हित प्रत्येक वर्ष के लिये द्वितीय पक्ष के खर्चे पर करवाई जावेगी। इस Comprehensive बीमा पालिसी में प्रथम पक्ष निगम जो कि बस का Hirer है, का नाम भी आवश्यक रुप से Benificiary Insurer के रुप में अंकित कराया जावेगा जिससे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बस के कर्मचारियों व बस के यात्रियों व किसी भी सम्पत्ति का कोई भी नुकसान, हर्जाना, ब्याज व क्लेम की राशि की अदायगी की जिम्मेदारी बीमा कम्पनी द्वारा निगम की ओर से दी जानी सम्मिलित होगी। बस की यह मूल Comprehensive बीमा पालिसी द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध करवाई जावेगी, जो अनुबंध अवधि में प्रथम पक्ष के आधिपत्य व अधिकार में रहेगी । बस की Comprehensive बीमा पालिसी का नवीनीकरण भी पालिसी में अंकित अंतिम तिथि से 10 दिवस पूर्व **द्वितीय पक्ष** द्वारा आवश्यक रुप से करवा लिया जायेगा इस बीमा की समस्त राशि द्वितीय पक्ष द्वारा अपने खर्चे पर भारत की अधिकृत बीमा कम्पनी के साथ जमा कर मूल पालिसी प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराई जावेगी। जो अनुबंध अवधि में प्रथम पक्ष के आधिपत्य व अधिकार में रहेगी । द्वितीय पक्ष द्वारा मूल बीमा पालिसी प्रथम पक्ष को न देने व समय पर नवीनीकरण न कराने पर 2000/– रूपये प्रतिदिन प्रति बस के जुर्माने पर बस अनुबंध पर स्वीकार करने हेतु प्रथम पक्ष को अधिकार होगा। बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण नही होने की दशा में शास्ति की राशि तो वसूली ही जायेगी साथ ही वाहन संचालित नही किया जायेगा। वाहन संचालन नही होने की दशा में शर्त संख्या 18 के अनुसार कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जायेगी। फिर भी यदि विलम्ब दिवस के दौरान वाहन संचालन होने पर घटित दुर्घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी **द्वितीय पक्ष** की होगी ।

14. **द्वितीय पक्ष** अपनी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के नुकसान/हर्जाना के क्लेम व हर्जाने के समस्त दायित्वों की अदायगी के लिये भी इस अनुबंध के उक्त बिन्दु–13 के अनुसार Comprehensive बीमा पालिसी में बीमा कम्पनी के उत्तरदायी होने की शर्त अंकित करवायेगा और इस प्रकार दुर्घटना संबंधी कोई दायित्व किसी भी प्रकार का निगम पर नहीं होगा और किसी भी न्यायालय अथवा अधिकरण में वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी वाद, क्लेम आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर **द्वितीय पक्ष** व वाहन की बीमा कम्पनी ही अपने खर्चे पर वकील नियुक्त कर पैरवी की समस्त व्यवस्था करेगा व इस संबंध में निगम को किसी भी प्रकार का व्यय या भुगतान करना पडा तो ऐसी धनराशि **द्वितीय पक्ष** व वाहन की बीमा कम्पनी द्वारा ही देय होगी और इस संबंध में वाहन को अनुबंध मुक्त करने से पूर्व व बाद में भी **द्वितीय पक्ष** को देय राशि में से अथवा बीमा कम्पनी से वसूल करने के लिये निगम सक्षम होगा। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर

घायल व्यक्तियों के प्राथमिक उपचार पर जो राशि व्यय होगी उसका उत्तरदायित्व भी अनुबंध के इस क्लॉज के आधार पर **द्वितीय पक्ष** व बीमा कम्पनी का ही होगा । यदि **द्वितीय पक्ष** अथवा बीमा कम्पनी द्वारा इस प्रकार व्यय की गई व अन्य देय राशि का पुनर्भरण नहीं किया गया तो यह राशि निगम द्वारा **द्वितीय पक्ष** व बीमा कम्पनी से पीडीआर एक्ट के अन्तर्गत काबिल वसूल होगी। दुर्घटना के कारण निगम पर आये किसी भी आर्थिक दायित्व की वसूली प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय इस अनुबन्ध अथवा अन्य अनुबन्ध अथवा निगम के पास द्वितीय पक्ष को देय राशि में से काट ली जावेगी। राशि काटने अथवा समायोजित करने बाद भी निगम को द्वितीय पक्ष द्वारा देय राशि शेष रहती हैं तो प्रथम पक्ष वसूल करने के लिए अधिकृत होगा। बीमा कम्पनी से अनुबन्ध अवधि के दौरान दुर्घटना का दायित्व वहन करने की अण्डरटेकिंग लेकर बीमा कवर प्रपत्र के साथ **द्वितीय पक्ष** के द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अण्डरटेकिंग निर्धारित नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। किसी सेवा दोष कृत्य के लिए मंच द्वारा पारित पंचाट के भुगतान के लिए **द्वितीय पक्ष** जिम्मेदार होगा।

15. अनुबन्धित वाहन के चालक की प्रत्येक निर्धारित बस स्टेन्ड पर बस ले जाने की जिम्मेदारी होगी। निगम परिचालक बुकिंग से डीएसए प्राप्त करेगा इसकी अवहेलना पर अनुबन्धित चालक के **Vehicle Owner/Individual/Any Firm/Consortium/Company etc.** एवं परिचालक दोनो से प्रत्येक बुकिंग एवं स्टेण्ड के 500–500/– रूपये की पृथक–पृथक से वसूली की जावेगी ।

16. वाहन के चालक व **द्वितीय पक्ष** दोनों को निगम अथवा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के सभी आदेशों/निर्देशों का पूर्ण रुप से पालन करना होगा । समय समय पर निगम द्वारा प्रसारित आदेशों/निर्देशों की जानकारी प्राप्त करने एंव उनकी अनुपालना करने का उत्तरदायित्व **द्वितीय पक्ष** का स्वयं का होगा। आदेशों/निर्देशों एंव अनुबन्ध की शर्तो की अवहेलना करने पर एवं नोटिस के बावजूद सुधार नही करने पर वाहन को संचालन से हटाया जा सकेगा तथा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा **जिसके लिये कोई क्षति पूर्ति देय नही होगी।**

17. वाहनों के चालकों को परिचालक के ऐसे सभी आदेशों/निर्देशों का पालना करना होगा जो उसे निगम के द्वारा जारी निर्देशों के अर्न्तगत हो एवं जो नियमान्तर्गत वाहन संचालन हेतु आवश्यक हैं।

18. प्रत्येक वाहन का माह में दो दिवस का स्वेच्छिक विश्राम द्वितीय पक्ष को देय होगा जो कि सात (07) दिवस पूर्व लिखित आवेदन की स्वीकृति से विश्राम दिवस मान्य किया जावेगा। द्वितीय पक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि विश्राम के कारण वाहन के परिचक का संचालन बाधित नही हो। यदि निर्धारित विश्राम दिवस दो दिन से अधिक समय के लिए बिना मुख्य प्रबन्धक की स्वीकृति के वाहन हटाई जाती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा 10,000/–रू. प्रतिदिन की दर से शास्ति राशि निगम को देय होगी, जो उसके मासिक बिल में से काटौती कर ली जायेगी ।

यदि निर्धारित मार्ग पर वाहन का संचालन परिचालक के अभाव में नही हो पाता है तो शर्त संख्या 18 के अनुसार कार्यवाही नही की जा सकेगी तथा लॉगशीट पर प्रबन्धक (संचालन/यातायात) द्वारा टिप्पणी किया जाना आवश्यक होगा जिस पर वाहन चालक के हस्ताक्षर भी अनिवार्य होगा।

19. द्वितीय पक्ष वाहन के अंदर या बाहर अनुबंध के दौरान किसी प्रकार का कोई विज्ञापन अपने स्तर पर नहीं लगवायेगा परन्तु निगम को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंधित वाहन के अंदर या बाहर विज्ञापन लगवा सके एवं उससे होने वाली आय निगम की होगी।

20. द्वितीय पक्ष इस अनुबन्ध पत्र के अनुसार जिस दिन से निगम को संचालन हेतु वाहन उपलब्ध करायेगा उस दिन से प्रत्येक माह में अधिकतम तीन दिन (दो दिवस के स्वेच्छिक विश्राम सहित) के लिए यांत्रिक मरम्मत व टूट–फूट एंव अन्य किसी भी कार्य, जो वाहन को सही स्थिति में करने के लिए आवश्यक हो, मुख्य प्रबन्धक की 24 घन्टे पूर्व **(स्वेच्छिक विश्राम से अन्यथा की स्थिति यथा Urgent maintenanace/ Body Work etc.)** सहमति से वाहन को मार्ग से हटा सकेगा लेकिन मार्ग से एक बार वाहन हटाने पर तीन दिन से अधिक (72 घन्टे तक) वाहन को अलग नहीं रखा जा सकेगा। दूसरे शब्दों में मरम्मत आदि से हटाये जाने के बाद 72 घन्टे के अन्दर वापस मार्ग पर

संचालन हेतु उपलब्ध करानी होगी अन्यथा *अनुबन्ध के अनुच्छेद 18* के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी । इसके अलावा एक कलेण्डर माह में यदि द्वितीय पक्ष की वाहन माह में किसी भी अन्य कारण से संचालन से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहती है तो समस्त अनुपस्थित अवधि के लिये ***शर्त सं0 18 के अन्तर्गत शास्ति राशि की*** वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी । जिन दिनों बस संचालन से हटाई जावेगी उन दिनों के लिए **द्वितीय पक्ष** को निगम द्वारा वाहन संचालन से संबंधित किसी प्रकार का भुगतान/राशि देय नही होगी।

द्वितीय पक्ष को प्रत्येक माह के प्रारंभ में मुख्य प्रबन्धक को वाहनवार विश्राम/यांत्रिक मरम्मत व टूट–फूट एंव अन्य किसी भी कार्य के लिये, लिय जाने वाले अवकाश की तिथियो की सूचना देनी होगी।

21. यदि द्वितीय पक्ष अपनी वाहन को भारी मरम्मत के लिए दो दिन से अधिक की अवधि के लिए हटाना चाहता है तो प्रथम पक्ष को तीन दिन पूर्व लिखित में वाहन को हटाने का नोटिस देना अनिवार्य है। ऐसी अवधि अधिकतम 10 दिवस की हो सकती है। इस हेतु मुख्य प्रबन्धक सहमति देने हेतु सक्षम होगें। इस अवकाश अवधि की आनुपातिक एस.आर.टी. राशि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी ,परन्तु धारा 18 में वर्णित क्षतिपूर्ति **द्वितीय पक्ष** से वसूल नही की जावेगी। दस दिवस से अधिक अवधि की दशा में एस.आर.टी. के साथ साथ शर्त–18 में वर्णित **शास्ति राशि** भी वसूली योग्य होगी ।

22. अनुबंधित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में 24 घण्टे के अंदर दुर्घटना की सूचना (लिखित पत्र/ई–मेल within office working hours)मय दुर्घटना प्रमाण के द्वितीय पक्ष द्वारा संबंधित मुख्य प्रबंधक को देनी होगी । इसके साथ ही 3 दिवस के अन्दर–अंदर अनुबंधित वाहन को मरम्मत पश्चात् संचालन हेतु उपलब्ध कराने की दिनांक बाबत् मुख्य प्रबंधक को लिखित में सूचित करना अनिवार्य होगा। यदि वाहन को उपलब्ध कराने की सूचना 3 दिवस में प्रथम पक्ष को नहीं दी जाती है तो प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंधित वाहन के संचालित नहीं होने की अवधि के लिये अनुबंध पत्र की शर्त संख्या 18 के अनुसार निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि एवं एसआरटी की राशि प्रतिदिन की दर से द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी ।

दुर्घटना की स्थिति में वाहन को मरम्मत हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा यदि वाहन को रोका जावेगा तो अधिकतम 15 दिवस की अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु संबंधित मुख्य प्रबंधक सक्षम अधिकारी होंगे तथा इससे अधिक अवधि के लिये महा प्रबन्धक (बस–बॉडी) सक्षम अधिकारी होंगे । परन्तु इस प्रकार के समस्त अवकाश स्वीकृति के लिये दुर्घटना के पुख्ता प्रमाण आवश्यक होंगे जैसे कि एफ.आई.आर. की प्रति, बीमा क्लेम, भारी मरम्मत का बिल आदि । ऐसे स्वीकृत अवकाश की अवधि की एसआरटी. राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी परन्तु शर्त संख्या 18 के तहत वर्णित शास्ति/क्षतिपूर्ति राशि वसूल नहीं की जावेगी ।

23. मार्ग में यदि निगम की स्वयं की वाहन या निगम की अन्य कोई अनुबन्धित वाहन ब्रेकडाउन अथवा दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उस वाहन के यात्रियों को अनुबन्धित वाहन से भेजने का अधिकार निगम को अथवा उसके कर्मचारी को होगा । अतिरिक्त यात्रियों के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा देय नही होगा लेकिन यात्री न उठाने की शिकायत पर निगम अनुबन्धित वाहन को अनुबन्ध से हटा सकेगा तथा भविष्य के लिए उस वाहन को तथा **द्वितीय पक्ष** को निगम द्वारा **Blacklist** किया जावेगा ।

24. द्वितीय पक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि वाहन को बस स्टेन्ड अथवा निर्धारित स्थान पर संचालित समय से आधा घन्टा पूर्व प्रस्तुत करें। निगम के अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह वाहन का एंव वाहन के संचालन में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता का निरीक्षण कर सकेगा। यदि वाहन प्रस्थान समय से आधा घन्टा पूर्व बस स्टेन्ड पर नही पहुँचती है तो प्रति 20 मिनट तक विलम्ब के लिये **500/– रूपये** की क्षतिपूर्ति राशि निगम को देय होगी एवं 20 मिनट विलम्ब के पश्चात् वाहन को संचालन के लिये स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं शर्त संख्या 18 के अन्तर्गत

कार्यवाही की जावेगी। यदि अनुबंधित वाहन अपने निर्धारित समय से अपना अनुसूचित परिचक्र पूर्ण नहीं करती है अर्थात् गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँचती है तो द्वितीय पक्ष ऐसे विलम्ब समय के लिये शास्ति रूपये **750/– प्रथम** पक्ष को देने के लिये बाध्य होगा जो कि उसको देय भुगतान में से काटी जावेगी। यदि अपरिहार्य कारणों से विलम्ब होता है तो परिचालक के प्रमाणीकरण के आधार पर प्रथम पक्ष ऐसी शास्ति को निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

परन्तु यदि वाहन मार्ग पर संचालित है तथा मार्ग जनित कारणों यथा मार्ग खराब होने, जाम लगना आदि के कारण अपने अगले शिडयुल के लिए समय पर स्टेण्ड पर नहीं पहुँच पाती है तो आगार प्रबन्धन द्वारा आगार में उपलब्ध **द्वितीय पक्ष** की दूसरी वाहन को मार्ग पर भेजा जा सकेगा तथा विलम्ब से आने वाली वाहन को दूसरे वाहन के शिडयुल पर भेजना अनिवार्य होगा।

यदि मार्ग परिवर्तन परिस्थितिजन्य (सडक का निर्माण, आंदोलन अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा मार्ग परिवर्तन) है तो इन अतिरिक्त संचालित कि.मी. के लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

25. अनुबन्ध की अवधि में द्वितीय पक्ष वाहन को बिना निगम की पूर्वानुमति के स्थानान्तरित, हस्तानान्तरित अथवा विक्रय नही कर सकेगा और न ही अन्य कोई ऐसी कार्यवाही करेगा जिसका प्रभाव निगम के हितों के विरुद्ध हो । इसकी पालना न करने पर अनुबन्ध स्वतः समाप्त समझा जावेगा तथा निगम को देय राषि **द्वितीय पक्ष** की ओर बकाया राशि/बैंक गारण्टी से अथवा पी.डी. आर. एक्ट के अर्न्तगत वसूल कराई जा सकेगी ।

26. वाहन में किसी भी प्रकार की कमी, दस्तावेजों में कोई कमी/दोष तथा चालक से संबंधित किसी कमी से निगम को होने वाली हानि के लिए **द्वितीय पक्ष** जिम्मेदार होगा । इस संबंध में **द्वितीय पक्ष** को अपनी वाहन का द्वितीय चार्ज निगम के पक्ष में संपादित करना होगा तथा उस चार्ज से वाहन तभी मुक्त किया जावेगा जबकि निगम को **द्वितीय पक्ष** से किसी प्रकार का भुगतान प्राप्त नही करना होगा जिसके लिए वह निगम से नो–डयूज सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा।

27. अनुबंध से संबंधित दोनों पक्षों का यह अधिकार होगा कि वह एक माह की पूर्व सूचना देकर इस अनुबंध में **वर्णित वाहन/वाहनों के अनुबन्ध** को निरस्त कर दें परन्तु **द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध प्रारम्भ दिनांक से 03 वर्ष तक अनुबंध समाप्त नही किया जा सकेगा। साथ ही,** प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि इस अवधि **(अनुबन्ध निरस्त की पूर्व सूचना)** को 30 दिवस के लिये और बढा सकेगा, जिसकी सूचना उसे द्वितीय पक्ष को 10 दिवस में अनिवार्य रूप से देनी होगी।

दोनो पक्षो की परस्पर सहमति से अनुबंध समाप्ति की दशा में **द्वितीय पक्ष** द्वारा जमा करायी गयी सुरक्षा राशि **(वाहनों की संख्या के आनुपातिक रूप से)** अनुबंध समाप्ति दिनांक से 06 माह पश्चात लौटायी जा सकेगी परन्तु प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा की सुरक्षा राशि लौटाने से पूर्व यदि कोई शास्ति अथवा एसआरटी की राशि बकाया हो तो उसको समायोजित कर सकेगा।

द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध प्रारम्भ दिनांक से **03 वर्ष** तक अनुबंध समाप्त नही किया जा सकेगा परन्तु अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर **प्रथम पक्ष द्वारा नोटिस जारी कर द्वितीय पक्ष को सुधार हेतु एक माह का समय दिया जायेगा। एक माह मे सुधार नही किये जाने की स्थिति में 15 दिन का पूर्व नोटिस देकर अनुबंध पर ली गई बस/बसों का अनुबंध निरस्त/समाप्त किया जा सकेगा। परन्तु इससे पूर्व नोटिस देकर व्यक्तिगत सुनवाई का द्वितीय पक्ष को मौका देना आवश्यक होगा।**

आगारीय समिति की अनुशंषा पर मुख्य प्रबन्धक द्वारा अनुबंध समाप्त करने पर यदि द्वितीय पक्ष सहमत नही है तो अनुबंध समाप्त संबंधी आदेश दिनांक के 30 दिवस के भीतर प्रबन्ध निदेशक के समक्ष अपील कर सकेगें तथा प्रबन्ध निदेशक द्वारा पारित निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

28. **अनुबन्ध की लॉक–इन अवधि तीन वर्ष की होगी। द्वितीय पक्ष** द्वारा दी जा रही सेवाओं के असंतोषजनक पाये जाने पर किसी भी समय, **यहाँ तक कि लॉक–इन अवधि (तीन वर्ष) में भी, प्रथम पक्ष द्वारा नोटिस जारी कर द्वितीय पक्ष को सुधार हेतु एक माह का समय दिया जायेगा। एक माह**

मे सुधार नही किये जाने की स्थिति में 15 दिन का पूर्व नोटिस देकर अनुबंध पर ली गई बस/बसों का अनुबंध निरस्त/समाप्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित हैं । अनुबन्ध का प्रारम्भ कलेन्डर माह की प्रथम तिथि से **माना** जावेगा व समापन अंतिम तिथि को ही किया जा सकेगा। **द्वितीय पक्ष** की किसी त्रुटि, वाहन की यॉत्रिक स्थिति, संचालन संबंधी त्रुटि, अंकित अनुबन्ध की किसी शर्त के उल्लंघन के कारण यदि अनुबन्ध माह के मध्य की तिथि में समाप्त होता है तो माह के शेष दिवसों की एसआरटी का भुगतान द्वितीय पक्ष की ओर से निगम को देय होगा और यह राशि बकाया भुगतान से वसूल की जा सकेगी।

द्वितीय पक्ष की **वाहनें** निगम द्वारा आवन्टित मार्ग अथवा शिडयूल पर ही चल सकेगी । इसके अतिरिक्त वाहन का प्रयोग **द्वितीय पक्ष** द्वारा अन्यत्र नही किया जा सकेगा । यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करते पाया गया तो निगम को अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध निरस्त कर दे तथा साथ ही बकाया देय राशि जब्त कर ले अथवा द्वितीय पक्ष को ''ब्लेक लिस्ट'' कर दे । **परन्तु इससे पूर्व नोटिस देकर व्यक्तिगत सुनवाई का द्वितीय पक्ष को मौका देय होगा।**

29. **निगम द्वारा, अनुबंधित वाहनों को निगम हित में, एक आगार से अन्य आगार में, निविदा की समान शर्तो एवं प्रावधानों पर स्थानान्तरित की जा सकेगी। स्थानान्तरित आगार** पर Charging Infrastructure तथा वाहन पार्किंग हेतु भूमि **(आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार)**, निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।

30. इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन से प्राप्त आय (Revenue Realized) को Escrow Account में जमा कराया जायेगा। माह समाप्ति के उपरान्त किराये की राशि के भुगतान हेतु **द्वितीय पक्ष** द्वारा आगामी माह की 07 तारीख तक वाहनों के देयक आगार में उपलब्ध कराने होंगे। आगार द्वारा अगले 07 दिवस में उक्त देयक का प्रमाणीकरण कर, भुगतान की कार्यवाही हेतु निर्धारित प्रारुप में सूचना मुख्यालय प्रेषित की जायेगी। मुख्यालय द्वारा, इलेक्टिक वाहनों के संचालन की Escrow Account में उपलब्ध Revenue में से अगले 07 दिवस में भुगतान किया जायेगा। अन्तर राशि की स्थिति में, मुख्यालय द्वारा 90 दिवस की अवधी में भुगतान कर दिया जायेगा। यदि किसी कारणवश भुगतान में विलम्ब होता है तो निगम द्वारा देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

31. यदि कोई वाहन मार्ग में ब्रेकडाउन हो जाती है एवं अपने परिचक्र को पूर्ण नहीं कर पाती है तो उस वाहन द्वारा तय किये गये कि.मी. का भुगतान ही देय होगा। लेकिन दूसरे दिन भी अपने शिडयूल पर वाहन उपलब्ध नही कराने पर **शर्त संख्या 20 के अनुसार** रेस्ट स्वीकार कराना होगा अन्यथा वाहन को अनुपस्थित मानकर शर्त संख्या 18 के अनुसार शास्ति राशि वसूल की जावेगी।

इस प्रकार मार्ग में ब्रेकडाउन माह में एक बार ही स्वीकार किया जावेगा। **द्वितीय पक्ष** की किसी भी वाहन के मार्ग पर माह में दूसरी बार ब्रेकडाउन होने पर उस शिडयूल के तहत संचालित कि.मी. का भी भुगतान नही किया जावेगा एवं ब्रेक डाउन के बिन्दु तक तय किये गये कि.मी. **की बिजली खपत (1.1 KWH/Km की दर से) देय होगी, शेष बिजली खपत की वसूली अथवा समायोजन किया जावेगा। किसी भी वाहन के मार्ग पर माह में तीसरी या अधिक बार ब्रेकडाउन होने पर उस शिडयूल के तहत संचालित किमी. का किसी भी प्रकार का भुगतान एवं बिजली खपत देय नही होगी तथा 10,000/—रू. प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति राशि वसूल की जायेगी, जो कि उस माह के प्रस्तुत देयकों से समायोजित की जायेगी।**

यदि वाहन द्वारा दो दिन के रोटेशन में एक दिन का शिड्यूल पूरा कर लिया जाता है तथा दूसरे दिन वाहन ब्रेकडाउन हो जाती है तो **द्वितीय पक्ष** को प्रथम दिवस के संचालन **की बिजली खपत एवं** प्रति कि.मी. निर्धारित दर से भुगतान देय होगा, परन्तु दूसरे दिवस के संचालन के निरस्तीकरण के लिए अनुबन्ध की शर्त संख्या 18 के अनुसार शास्ती राशि वसूल की जावेगी।

द्वितीय पक्ष द्वारा दूसरे दिन शिडयूल पर वाहन उपलब्ध न कराने पर अनुबन्ध के शर्त संख्या 18 के अनुसार शास्ति भी वसूल की जावेगी। वाहन को ब्रेकडाउन तभी माना जावेगा जब वाहन के यात्रियों को दूसरी वाहन में स्थानान्तरित कर गन्तव्य के लिये भेजा जावेगा।

यदि वाहन अपने गन्तव्य स्थान पर एक घंटा विलम्ब तक पहुँच जाती है तो ब्रेकडाउन नहीं माना जावेगा अपितु शर्त संख्या–24 में वर्णित प्रावधानानुसार विलम्ब से आवागमन के लिये शास्ति राशि वसूल की जावेगी।

वाहन का AC/Heating System सही रूप से कार्य नही करने एवं मार्ग पर वाहन discharge होने को ब्रेक डाउन ही माना जावेगा।

32. मुख्य प्रबन्धक अथवा निगम मुख्यालय द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनुबन्धित वाहन के संचालन संबंधित समय सारिणी में परिवर्तन कर सकेगा तथा इस संबंध में ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा। आदेशों की अवहेलना करने पर मुख्य प्रबन्धक ऐसे वाहन के संचालन को बन्द कर सकेगा। जिसके लिये शर्त संख्या 18 के अनुसार निर्धारित राशि द्वितीय पक्ष के देय भुगतान से वसूली की जायेगी। वाहन पुनः निगम मुख्यालय के आदेशों से ही संचालन में वापिस ली जा सकेगी।

33. इस अनुबन्ध को निष्पादित करवाने से संबंधित नॉन ज्यूडिस्यिल स्टाम्प पेपर फीस व अन्य सभी प्रकार के व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किये जावेगें।

34. यदि **द्वितीय पक्ष** किसी भी अवांछित कार्य में लिप्त अथवा उससे संबंधित पाया गया तो अन्य कानूनी कार्यवाही के साथ साथ निगम अनुबन्ध निरस्त कर सकेगा । **परन्तु अनुबन्ध निरस्त करने से पूर्व नोटिस देकर व्यक्तिगत सुनवाई का मौका वाहन स्वामी को देना आवश्यक होगा।**

35. आयकर संबंधी नियमों के अर्न्तगत द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले किराये की राशि में से निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आयकर संबंधित मुख्य प्रबन्धक द्वारा किराये का भुगतान करते समय काटा जावेगा। यदि द्वितीय पक्ष संबंधित आयकर अधिकारी से आयकर न काटने के बारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे तो **द्वितीय पक्ष** से मुख्य प्रबन्धक आयकर नही काटेगें।

36. बस पर लिए गये कर्ज/ऋण एंव अन्य समस्त देनदारियों एंव अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी के लिए **द्वितीय पक्ष** स्वयं ही जिम्मेदार होगा। निगम की इसमें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नही होगी ।

37. वाहन संचालन से पूर्व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम शब्द मय लोगो वाहन के दोनो तरफ **निगम द्वारा निर्धारित साईज में** लिखवाने होगें। इसके अतिरिक्त वाहन के अग्रभाग (विन्डस्क्रीन) की बॉई दिशा में आगार का नाम, मार्ग का नाम, परिचक्र की समय सारिणी तथा अन्य शब्द जो निगम के नियमानुसार वाहन के किसी भी भाग पर लिखवाना आवश्यक समझा जावे, लिखवाने होगें। इस पर होने वाला व्यय द्वितीय पक्ष को ही वहन करना होगा। द्वितीय पक्ष को निगम द्वारा निर्धारित डेस्टीनेशन बोर्ड आवन्टित सेवा के मार्ग के लिए अपने व्यय से बनवाना होगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर वाहन का कलर स्कीम एवं उक्त लिखावट अन्तिम भुगतान से पूर्व परिवर्तित कराने (हटाने) का दायित्व **द्वितीय पक्ष** का होगा। यदि **द्वितीय पक्ष** द्वारा संतोषप्रद रूप से इसे नही परिवर्तित किया गया तो द्वितीय पक्ष की लागत पर निगम द्वारा करा दिया जावेगा ।

38. निगम द्वारा जारी किये जाने वाले सभी प्रकार के नोटिस दस्तावेज तथा अन्य की जाने वाली कार्यवाही प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अथवा निगम के अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी ।

39. राज्य सरकार के यातायात विभाग/मोटर गैरेज/**अन्य टेस्टिंग एजेन्सी** द्वारा निरीक्षण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बावजूद भी प्रबन्ध निदेशक द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा द्वितीय पक्ष के वाहन का निरीक्षण कराने का सर्वाधिकार निगम का सुरक्षित है ।

40. शर्त संख्या 05 में वर्णित प्रथम अवधि के साथ साथ समय–**समय** पर बढाई गई अवधि पूर्ण होने पर ही प्रतिभू राशि नो–ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् लौटायी जा सकेगी ।

41. निगम द्वारा वाहन की यांन्त्रिक, बॉडी एवं सीटो की स्थिति खराब होने की शिकायत पर यदि द्वितीय

पक्ष **नोटिस अवधि में** सुधार नही करवाता है तो वाहन को संचालन से हटाया जा सकेगा अथवा **निगम शर्त संख्या 27 के अनुसार कार्यवाही करते हुये** अनुबन्ध समाप्त कर वाहन को हटा सकेगा एवं इससे हुये नुकसान की भरपाई **द्वितीय पक्ष** के बिल से निगम द्वारा कर ली जावेगी ।

परिचालक/ड्यूटी ऑफिसर/निरीक्षण दल/कार्यशाला द्वारा वाहन में कमियाँ पाये जाने पर द्वितीय पक्ष के देयक से नोटिस देकर निम्नानुसार वसूली होगीः–

क. स.	पेनल्टी का विवरण	नोटिस की अवधि	पेनल्टी की राशि (नोटिस जारी करने के बाद)
1	खिड़की का शीशा क्रेक होने पर	03 दिवस	200/– रू. प्रतिदिन प्रति ग्लास
2	Front glass/Rear Glass क्रेक होने पर	15 दिवस	500/–रूपये प्रतिदिन
3	सीटें फटी/खराब होने पर	7 दिवस	100/–रूपये प्रति सीट
4	वाहन चालक का पुलिस वेरिफिकेशन न होने पर	15 दिवस	100/–रूपये प्रतिदिन
5	वाहन चालक के वर्दी में नहीं पाये जाने पर	7 दिवस	50/– रूपये
6	वाहन के आगे–पीछे, बाँये–दाँये दोनों ओर RSRTC न लिखा पाये जाने अथवा अस्पष्ट होने पर	7 दिवस	100/– रूपये
7	निगम द्वारा अधिकृत होटल/ढाबे पर वाहन नहीं रोकने पर	7 दिवस	100/–प्रति ट्रिप
8	प्रत्येक निर्धारित बस स्टैण्ड पर लॉगशीट पर बस स्टैण्ड प्रभारी के हस्ताक्षर/सील न लगवाने पर		500/– रूपये प्रति बस स्टैण्ड
9	वाहन में स्टेपनी/टूल न होने पर	7 दिवस	100/–रूपये प्रतिदिन
10	व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम/कैमरा के खराब होने पर	24 घंटे	100/–रूपये प्रतिदिन
11	वाहन के पर्दे इत्यादि गन्दे होने पर	7 दिवस	100/– रूपये प्रतिदिन
12	मोबाईल चार्जर खराब होने पर	7 दिवस	50/–रू. प्रति चार्जर प्रतिदिन

42. वाहन के आगे व पिछे तथा बाहर दोनो साईड में निगम द्वारा अनुमोदित स्पेशल डिजाईन (ग्राफिक्स) का अंकन/निगम द्वारा निर्धारित कलर स्कीम, इन्टीरियर (पर्दे, मोबाईल चार्जर, एल.ई.डी. लाईट इत्यादि) एवं निगम स्पेसिफिकेशन के अनुसार द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन को स्वंय के खर्च पर निर्मित करवानी होगी।

43. अनुबन्धित वाहन में उपलब्ध डिक्किया निगम की पार्सल सेवा हेतु आरक्षित रहेगी जिसका निगम द्वारा द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार का किराया देय नही होगा। इससे प्राप्त समस्त आय निगम की रहेगी।

44. द्वितीय पक्ष बिना प्रथम पक्ष की पूर्व लिखित अनुमति के अपनी वाहन में सीटें बढाने, कम करने आदि का कोई परिवर्तन नहीं करेगा ।

45. द्वितीय पक्ष पर जारी किये जाने वाले नोटिसों की तामील पूर्ण समझी जायेगी। यदि ऐसे नोटिस अनुबन्धित वाहन के चालक/**अधिकृत प्रतिनिधि** अथवा **द्वितीय पक्ष** को दिया जावे अथवा Registered post,e-mail, speed post के जरिये द्वितीय पक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पते पर जो निगम कार्यालय में उपलब्ध हो, भेजे जावे, द्वितीय पक्ष या उनके अधिकृत **प्रतिनिधि/चालक** द्वारा व्यक्तिगत रुप से कोई पत्र लेने से इन्कार करने की स्थिति में वाहन संचालन से हटाने के लिए निगम अधिकृत होगा

46. आवेदनकर्ता अनुबंधित **वाहनों** का स्वयं मालिक होना चाहिए।

47. अनुबंधित **वाहनों** के लाभ–हानि में संचालित होने के लिये **द्वितीय पक्ष** को जिम्मेदार नहीं माना जावेगा।

48. द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये नोटिसों की तामील निगम पर तब ही पूर्ण समझी जावेगी जबकि ऐसे नोटिस की रसीद निगम के संबंधित अधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी कर दी जाती है अथवा प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को रजिस्ट्री के जरिये नोटिस भेज दिया जाता है लेकिन न्यायिक प्रकरण में नोटिस ईमेल से तभी मान्य होगा जब इसमें पूर्ण विवरण सहित आशय

स्पष्ट हो व निगम द्वारा अधिकृत व्यक्ति ने प्राप्त किया हो।

49. **द्वितीय पक्ष** को अनुबंध के समय निविदा शर्तो के अनुसार 0.5% सुरक्षा राशि 126 माह के लिये डिमांड ड्राफ्ट/वैध बैंक गारन्टी/एफडीआर के रुप में निगम को देनी होगी जिस पर किसी प्रकार का ब्याज एवं खर्च इत्यादि निगम द्वारा देय नही होगा। **द्वितीय पक्ष** द्वारा राजस्थान राज्य **के बैंक में** स्वंय के द्वारा संचालित खाते से ही जारी बैंक गारण्टी/FDR एवं अन्य वित्तीय दस्तावेज मान्य होंगे। अनुबन्ध अवधि 126 माह से वृद्धिकृत किये जाने पर वैध बैंक गारण्टी/एफ.डी.आर. की अवधि भी वृद्धिकृत अवधि एवं 6 महिने सहित वृद्धिकृत कर **द्वितीय पक्ष** द्वारा निगम को प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। सफल निविदादाता की **बोली सुरक्षा राशि को** सुरक्षा राशि में समायोजित की जा सकेगी। 0.5% सुरक्षा राशि की गणना निम्न राशि पर की जावेगी:–

आदेशानुसार अनुबंध पर ली जाने वाली/**इस अनुबन्ध पत्र में उल्लेखित** बसों की संख्या x 400 किमी. x 365 दिवस x अनुबन्ध की अवधि x प्रति किमी. निर्धारित दर = 0.5% सुरक्षा राशि की गणना हेतु कुल राशि

50. इस अनुबंध के अन्तर्गत "फोर्स मेजर क्लॉज" वित्तीय बिड की शर्तों के बिन्दु संख्या N (i) से (v) के अनुरूप दोनो पक्षों को मान्य होगा ।

51. **द्वितीय पक्ष** द्वारा वाहन के 06 वर्ष अथवा 07 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो, के पूर्ण होने पर स्वम के खर्च पर वाहन की Reconditioning करवायी जाएगी ।

52. अनुबन्धित वाहन में 06 माह **के समय अन्तराल में** निम्न घटनायें/गतिविधियां होने पर निगम **प्रबंध निदेशक द्वितीय पक्ष** की वाहन/समस्त वाहनों का अनुबन्ध समाप्त करने के लिये स्वतंत्र रहेगा–

1) तीन बार अथवा अधिक प्राणघातक दुर्घटना।
2) वाहन संचालन के दौरान चालक द्वारा तीन बार अथवा अधिक शराब सेवन किया जाना पाये जाने पर।
3) चालक/ **द्वितीय पक्ष** द्वारा वाहन में अवैद्य सामान (यथा पार्सल, लगेज आदि/तस्करी/मादक पदार्थ/ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन करने पर।

53. यदि अनुबन्ध के कियान्वयन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच में किसी प्रकार के विवाद के निपटारे के लिए निम्नानुसार प्रावधान रहेगा:–

DISPUTE RESOLUTION: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order no. HO/Law/Gen/17/781 dt. 03-10-2017. The Standing Committee so consitiued shall ensure full compliance with the office order referred to above.

Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the Bid/contracts/agreements issued by the corporation shall be filed in the competent court located in Jaipur.

निविदा में वर्णित सभी शर्ते भी अनुबन्ध का भाग होंगी।

54. निगम स्वामित्व में स्थान उपलब्ध होने पर **ही** अनुबन्धित वाहनों को पार्किंग हेतु स्थान उपलब्ध कराया जा सकेगा।

55. अनुबन्ध भारत में प्रचलित कानूनों के अंतर्गत मान्य होगा।

56. अनुबन्ध पत्र में वर्णित शर्तें प्रत्येक वाहन अनुसार भी लागू रहेंगी।

57. समय–समय पर वाहन/सेवाओ पर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लगाये जाने वाले टैक्स, सेंस, अधिभार, शास्ति के भुगतान का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

58. उपरोक्त अनुबन्ध तथा निविदा प्रपत्र में अंकित समस्त प्रावधानों व शर्तों (जो कि इस अनुबंध का भाग होगी) की स्वीकृति मानते हुए दोनो पक्ष आज दिनांक ------------- को हस्ताक्षर अंकित करते हैं ।

यह अनुबन्ध स्वेच्छा से बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होश–हवास से निष्पादित किया है ।

प्रथम पक्ष	**द्वितीय पक्ष**
मुख्य प्रबंधक	
हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**

निगम के गवाह :			द्वितीय पक्ष के गवाहः	
नाम	पद	हस्ताक्षर मय दिनांक	नाम एवं पता	हस्ताक्षर मय दिनांक
1.			1.	
2.			2.	